कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :***ukmssbdun@gmail.com***; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

पत्र संख्याः– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 12 / 2025–26 / 569 दिनांक– 17 जुलाई, 2026

नर्सिंग अधिकारी परीक्षा–2025 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत)

चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरूष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के रिक्त 587 पदों (बैकलॉग सहित) के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में ऑफलाईन माध्यम से जमा किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या–उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 12 / 2025–26 / 790, दिनांक– **17 नवम्बर, 2025** द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरूष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के रिक्त **587** पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

उक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरूष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के रिक्त **587** पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा हेतु विज्ञप्ति संख्या 28 / 2026 दिनांक 02 जुलाई 2026 के माध्यम से सूचना का प्रसारण किया गया।

उक्त के क्रम में सूचित किया जाना शेष है कि ऐसे अभ्यर्थी / याचिकाकर्ता जिनके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयुसीमा में छूट प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में रिट याचिकाएं दायर की गई थी, एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उनके द्वारा ऑफलाईन आवेदन पत्र जमा किया गया एवं उनके द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निस्तारण आदेश पारित किया गया है–

> 3– सीधी भर्ती में ऊपरी आयुसीमा में छूट प्रदान किया जाना पूर्णतः कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से हाने के दृष्टिगत सम्बन्धित याचीकाकर्ता को सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने हेतु कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नानुसार है–
>
> ''उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2020 में उक्त पद हेतु यथा विहित न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का प्रावधान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.02.2014 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 में समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा 42 वर्ष निर्धारित है। प्रस्ताव पर विचार किये जाने की स्थिति में अन्य विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती की चयन प्रक्रियाओं में भी इसी प्रकार की आयुसीमा में छूट की मांग की जा सकती है, जो कि एक अनवरत प्रक्रिया होगी। अतः सीधी भर्ती में चयन होने की स्थिति में अधिकतम आयुसीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव नियमानुसार पोषणीय नहीं है''
>
> अतः उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्बन्धित याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी / याचिकाकर्ता जिनके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयुसीमा में छूट प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में रिट याचिकाएं दायर की गई थी एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उनके द्वारा ऑफलाईन आवेदन पत्र जमा किया गया, के समस्त ऑफनाईन आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है। उन्हे परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

ह0 / –
(प्रदीप जोशी)
सचिव